

निविदा सूचना

नेतरहाट आवासीय विद्यालय के आश्रमों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले निम्न सामग्री के कय हेतु मुहरबन्द निविदाय प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम आमंत्रित की जाती है। गोदरेज के अधिकृत डिलर/बिक्रेता ही अपना दर ( कर सहित) दे सकते हैं। ये निविदायें हाथों- हाथ या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 14.5.13 को 11.00 बजे पूर्वान्हन तक प्राचार्य कार्यालय में स्वीकार की जायेगी। प्राप्त निविदाओं को उक्त तिथि को ही 11.30 बजे निविदादाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं कय समिति के सदस्यों के सम्मुख खोला जायेगा। निविदादाताओं को आयकर एवं बिक्रीकर में निबंधित होना आवश्यक है, जिसके प्रमाण स्वरूप निबंधन की छाया प्रति एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अग्रघन की राशि रूपया तीन लाख प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम मुग्तान योग्य राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना आवश्यक है। सार्थ को उपस्कर के निर्माण/आकृति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना पड़ सकता है।

1- Godrej Single Bed ESCA		
6'x 3' with metal sheet & Mosquito Net- Rod	-	179 piece
2- Godrej Almirah 50"x30"x17"		
Minor - plain with 3 - Shelves	-	451 piece
3- Godrej sliding door unit		
29" X 36" X 18"	-	472 piece
4 Godrej mattress for single Bed ACE	-	516 piece

निविदा की शर्त

1. निविदादाता को आयकर क्लियरेंस संबंधी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
2. निविदा के साथ बैंक में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संलग्न रहना आवश्यक है। आयकर पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करे।
3. निविदा के साथ झारखंड राज्य से बिक्रीकर तथा आयकर में बकाया नहीं रहने का अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। निविदा के लिफाफे पर जिस चीज के लिए निविदा दी जाती है उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से होना आवश्यक है।
4. फिनान्सियल बीड एवं टेक्नीकल बीड अलग- अलग लिफाफा में देना होगा। टेक्नीकल बीड योग्य पाये जाने पर ही फिनान्सियल बीड वाले लिफाफे को खोला जायेगा।
5. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
6. निविदा की शर्तों में परिवर्तन एवं उसे बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
7. सभी सामग्रियों का आपूर्ति का एफ0ओ0आए0 नेतरहाट आवासीय विद्यालय होगा।
8. निविदादाताओं को सामान की लोडिंग एवं अनलोडिंग स्वयं करना होगा एवं इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. दर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कर या अन्य खर्च देय नहीं होगा।
10. सभी उपस्कर को आपूर्ति कयादेश की तिथि से एक माह के अन्दर करनी होगी।
11. शर्तों पर ही आयकर एवं बिक्रीकर की राशि की कटौती की जायेगी।

Eo/-प्राचार्य

नेतरहाट आवासीय विद्यालय।

प्रतिलिपि- 1. आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

2. उपायुक्त, लातेहार।
3. उपायुक्त, लोहरदगा।
4. सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार।
5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड।
6. कोषपाल/लेखापाल/रोकड़पाल को सूचनार्थ।

